

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(5)राज/वाद/15

जयपुर दिनांक 08-09-2020

लोक अभियोजक एवं
राजकीय अभिभाषक,
-----, राजस्थान।

विषय:- त्रैमासिक सूचना भिजवाने के संबंध में।
सन्दर्भ:- समसंख्यक पत्र दिनांक 04.11.15

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 04.11.15 के साथ प्रेषित प्रारूप सं0 4 में प्रत्येक त्रैमासिक सूचना इस विभाग को भिजवाने बाबत समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण को निर्देशित किया गया था। किन्तु अधिकांश अभियोजक द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को नहीं भिजवाई जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय एवं जिले में कार्यरत विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालय से प्रथम त्रैमास (दिनांक 01.01.20 से 31.03.20) एवं द्वितीय त्रैमास (दिनांक 01.04.20 से 30.06.20) तक की सूचना निम्न प्रारूप सं04 में प्राप्त की जाकर इकजाई सूचना 15 दिवस के अन्दर इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	प्रकरण सं0 व किरम	टाईटल	निर्णय/आदेश का दिनांक	राज्य के पक्ष	राज्य के खिलाफ

त्रैमास में सफलता का प्रतिशत अंकित करें।

८०

(मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

(मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण